न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –60/2020

अनवान : –

1. जमशेद पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. नकमोहम्मद पुत्र कबुलखान जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. याकुब पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. अलीहुसैन पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. आलमगीर पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. खलीलखान पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. जमीलखान पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. आवीदहुसैन पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. परवीन पुत्री नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. जरीना पुत्री नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
10. निखतजहान पुत्री नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
11. ओरियन्टल बैक ऑफ कामर्श शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैक ऑफ कामर्श शाखा भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री विनोद पूनियां वादी
श्री उम्मेद मोठसरा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 13/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 59/54 के मु0न0 41 के किला न0 11, 12, 19 ता 21 मु0 न0 42 के किला न0 14 ता 16, 25 कुल 2.277है0 नहरी मय रास्ता तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 58/49 के मु0न0 19 के किला न0 22, 23 मु0 न0 20 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 20, मु0 न0 21 के किला न0 14, 15/2 कुल 4.718है0 नहरी मय खाला कृषी भूमि तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 59/136 के मु0न0 21 के किला न0 15/1 की 0.089है0 नहरी प्रतिवादी सं 1 नेकमोहम्मद के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

प्रतिवादी सं 1 को वाद भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित वाद भूमि पहले वादी के दादा कबुलखान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। कबुलखान के देहान्त के बाद प्रतिवादी सं 1 नेकमोहम्मद सहज कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि को विरासतन अपने नाम दर्ज करा लीया। जिससे वादी के हकों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। अतः वाद भूमि पैतृक व दादालाई सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 10 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। अतः वादी को अपने हकों की घोषणा करा पाने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 10 ने राजीनामा पेश किया जिसे पढ़लिखकर सुनसमझकर सही होना स्वीकार किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में जमशेद पुत्र नकमोहम्मद निवासी करणपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 8 एमएसआर सवंत 2072–75 खाता सं 59/54 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 10 एमएसआर खाता सं प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 10 एमएसआर खाता सं 59/136 प्रदर्श 3 जमाबंदी भू. प्र. वि. सवंत 2029–38 प्रदर्श 4 जमाबदी चक 10 एमएसआर सवंत 2049 प्रदर्श 5 जमाबदी चक 10 एमएसआर के खाता सं 9/8 प्रदर्श 6 तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 59/54 के मु0न0 41 के किला न0 11, 12, 19 ता 21 मु0 न0 42 के किला न0 14 ता 16, 25 कुल 2.277है0 नहरी मय रास्ता तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 58/49 के मु0न0 19 के किला न0 22, 23 मु0 न0 20 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 20, मु0 न0 21 के किला न0 14, 15/2 कुल 4.718है0 नहरी मय खाला कृषी भूमि तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 59/136 के मु0न0 21 के किला न0 15/1 की 0.089है0 नहरी प्रतिवादी सं 1 नेकमोहम्मद के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो दादालाई व पैतृक कृषी भूमि है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषी भूमि होना साबित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 10 बहिस्सा बराबर के खातेदार है। प्रतिवादी सं 8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा को वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में से प्रतिवादी सं 1 का नाम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कलमजन कर वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 59/54 के मु0न0 41 के किला न0 11, 12, 19 ता 21 मु0 न0 42 के किला न0 14 ता 16, 25 कुल 2.277है0 नहरी मय रास्ता तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 58/49 के मु0न0 19 के किला न0 22, 23 मु0 न0 20 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 20, मु0 न0 21 के किला न0 14, 15/2 कुल 4.718है0 नहरी मय खाला कृषी भूमि तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 59/136 के मु0न0 21 के किला न0 15/1 की 0.089है0 नहरी प्रतिवादी सं 1 नेकमोहम्मद के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें से प्रतिवादी सं 1 नेकमोहम्मद का नाम कलमजन कर वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं 8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा को वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 के पक्ष में तर्क कर दिया है अतः तर्क किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद भूमि में से प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –60/2020

अनवान : –

1. जमशेद पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. नेकमोहम्मद पुत्र कबुलखान जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. याकुब पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. अलीहुसैन पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. आलमगीर पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. खलीलखान पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. जमीलखान पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. आवीदहुसैन पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. परवीन पुत्री नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. जरीना पुत्री नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
10. निखतजहान पुत्री नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
11. ओरियन्टल बैक ऑफ कामर्श शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैक ऑफ कामर्श शाखा भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री विनोद पूनियां व वकिल प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 59/54 के मु0न0 41 के किला न0 11, 12, 19 ता 21 मु0 न0 42 के किला न0 14 ता 16, 25 कुल 2.277है0 नहरी मय रास्ता तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 58/49 के मु0न0 19 के किला न0 22, 23 मु0 न0 20 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 20, मु0 न0 21 के किला न0 14, 15/2 कुल 4.718है0 नहरी मय खाला कृषी भूमि तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं 59/136 के मु0न0 21 के किला न0 15/1 की 0.089है0 नहरी प्रतिवादी सं 1 नेकमोहम्मद के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें से प्रतिवादी सं 1 नेकमोहम्मद का नाम कलमजन कर वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं 8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा को वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 के पक्ष में तर्क कर दिया है अतः तर्क किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद भूमि में से प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ